COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(86)

माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प,उज्जैन म0प्र0

नि० – 1267 – III – 16

प्र0क्र0– / निग0–16

उँकारसिंह पिता बिहारीलाल,जाति गुर्जर,निवासी ग्राम– बकानी,पर0 मो0बड़ोदिया, जिला शाजापुरम0प्र0 कृषक ग्राम–दुधाना,तह0मो0बड़ोदिया,जिलाशाजापुरम0प्र0

बनाम ---निगरानीकर्ता/

पीरूलाल पिता गोरेलाल, जाति गुर्जर, निवासीग्राम मालाखेड़ी,पर0 मो0बड़ोदिया,जिलाशाजापुरम0प्र0 कृषक ग्राम दुधाना,तह0मो0बड़ोदिया,जिलाशाजापुरम0प्र0

----उत्तरदाता

प्रा० ... श्री ... द्वारा प्रस्तुत दिनांक 11/4/16 अधीक्षक आयुक्त कार्यालय उज्जैन

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म0प्र0भू0रा0सं0–

माननीयमहोदय,

निगरानीकर्ता की ओर निगरानी निम्नानुसारप्रस्तुत है:-

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय,मो0बड़ोदियाके आदेश क्र–/रि प्र.क्र. 40–अ–12/15–16 आदेश दिनांक–29–2–16 सेक्षुब्द व दुखी होकर यह निगरानी अंदर अवधी पेश की जा रहीहै।

संक्षिप्त तथ्य,

यहकि पीरूलाल पिता गोरेलाल के द्वारासर्वे नं–136/2 रकबा0–50 है0,भूमि के सीमान के संबंधमे एक आवेदन तहसीलदारमहोदय, के यहां प्रस्तुत किया गया था जिसमे सुनवाई का अवसर निगरानी कर्ता को नही दिया गया है।इसलिये यह एक पक्षीय आदेश से क्षुब्द होकर निम्नलिखित आधारो पर निगरानी प्रस्तुत की जा रहीहै:-

निगरानी के आधार

1= यहकि न्यायालय तहसीलदारमहोदय,मो0बड़ोदिया, द्वारा पारित आदेश विधि विधान के विपरीतहोकर निरस्त किये जाने योग्य है।

XXIX(a)-BR(H)-11

(४)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1267-तीन/16 **जिला** - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामबाबू पाटीदार उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य** (3)	